

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 205/2025

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गिरधारीराम पुत्र चतराराम जाति जाट निवासी तालबाणियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. तहसीलदार-सिणधरी, जिला-बालोतरा 2. शाखा प्रबन्गक, रा.म.बैंक शाखा सड़ा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री पावूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित ।
2. नायब तहसीलदार (तहसील कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित । शेष एकतरफा ।

आदेश

दिनांक- 16.10.2025

1.संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 200/122 रकबा 5.2019 हैक्टैयर वर्तमान जामाबन्दी अनुसार आया हुआ है तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 199/122 रकबा 0.8252 हैक्टैयर ग्राम तालिबानियों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है । कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खेत तातकालीन (जब सर्म्पण किया था) खसरा नम्बर 122/5 रकबा 37-05 बीघा मे से दिनांक 16.03.2015 कार्यालय तहसीलदार गुडामालानी में कमांक 2005/15-17 दिनांक 16.03.2005 को ग्राम टुकिया खसरा नम्बर 122/5 रकबा 37-05 बीघा भूमि मेसे 02-00 बीघा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष सर्म्पण करवाया गया था। तथा उक्त सर्म्पण का राजस्व रकर्ड में अमलदरामद करते समय राजस्व कामिको की भुलवंश 02-00 बीघा की जगह 05-00 बीघा का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद कर दिया गया । जिसका नामान्तरण दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गावो के संग अभियान में हुआ है तथा राजस्व कामिको की भुल वश आनन-फाफन में हआ है। कि पक्षक

समदरसिंह भाटी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



तथा भूलवंश हुई प्रविष्टी को कभी भी सुधारा जा सकता है। जिस कारण प्रार्थी भुलवश हुई प्रविष्टी दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। क्योंकि राजस्व कामिको के भुलवश हुई गलती के कारण प्रार्थी को खामियाजा नहीं भुगता जा सकता जो प्रार्थी के साथ न्याय किया जावे व राजस्व रेकॉर्ड का अवलोक करते हुए शुद्धिकरण किया जावे। कि प्रार्थी को गलत प्रविष्टी होने से असुविधा का बिना वजह सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर वर्तमान जमाबन्दी अनुसार प्रार्थी के खेत प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 200/122 रकबा 5.2019 हैक्टेयर ग्राम तालबानियो की ढाणी (सर्मपण करते समय ग्राम टुकिया खसरा नम्बर 122/5 रकबा 37-05 मे से 02-00 भूमि का समर्पण) व विप्रार्थी 1 खाता नम्बर 1 खसरा नम्बर 199/122 रकबा 0.8252 हैक्टेयर में 02-00 बीघा यानि वर्तमान ईकाई 0.3236 हैक्टेर को यथावत रखते हुए शेष भूमि 0.5016 हैक्टेयर को प्रार्थी के ग्राम तालबानियो की ढाणी खसरा नम्बर 200/122 रकबा 5.2019 हैक्टेयर में जोडते हुऐ समायोजन करते हुए प्रार्थी की मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम एवं खाते को दुरुस्त शुद्धिकरण किये जाने आदेश प्रदान करावे।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी सं. 01 की ओर से नायब तहसीलदार(तहसील कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। शेष विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 200/122 रकबा 5.2019 हैक्टेयर वर्तमान जामाबन्दी अनुसार आया हुआ है तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 199/122 रकबा 0.8252 हैक्टेयर ग्राम तालबानियो की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खेत तातकालीन (जब सर्मपण किया था) खसरा नम्बर 122/5 रकबा 37-05 बीघा मे से दिनांक 16.03.2015 कार्यालय तहसीलदार गुडामालानी में कमांक 2005/15-17 दिनांक 16.03.2005 को ग्राम टुकिया खसरा नम्बर 122/5 रकबा 37-05 बीघा भूमि मेसे 02-00 बीघा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष सर्मपण करवाया गया था। तथा उक्त सर्मपण का राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद करते समय राजस्व कामिको की भुलवंश 02-00 बीघा की जगह 05-00 बीघा का राजस्व रेकॉर्ड में अमलदरामद कर दिया गया। जिसका नामान्तरण दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गावो के संग अभियान में हुआ है तथा राजस्व कामिको की भुल वश आनन-फाफन में हआ है। कि पक्षकारान के तथा भूलवंश हुई प्रविष्टी को कभी भी सुधारा जा सकता है। जिस कारण प्रार्थी भुलवश हुई प्रविष्टी दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। क्योंकि राजस्व कामिको के भुलवश हुई गलती के कारण प्रार्थी को खामियाजा नहीं भुगता जा सकता जो प्रार्थी के साथ न्याय किया जावे व राजस्व रेकॉर्ड का अवलोक करते हुए शुद्धिकरण किया जावे। कि प्रार्थी को गलत प्रविष्टी होने से असुविधा का बिना वजह सामना करना पड़ रहा है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार रकबा एवं तदनुसार तरमीम दुरुस्ती अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन



उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लटढा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावे।


4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया गया कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 200/122 रकबा 5.2019 हैक्टेयर वर्तमान जामाबन्दी अनुसार आया हुआ है तथा विप्रार्थी संख्या 1 के खाता संख्या 1 खसरा नम्बर 199/122 रकबा 0.8252 हैक्टेयर ग्राम तालिबानियों की ढाणी पटवार मण्डल गोलिया जीवराज तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में आया हुआ है। कि प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी खेत तातकालीन (जब सर्म्पण किया था) खसरा नम्बर 122/5 रकबा 37-05 बीघा में से दिनांक 16.03.2015 कार्यालय तहसीलदार गुडामालानी में कमांक 2005/15-17 दिनांक 16.03.2005 को ग्राम टुकिया खसरा नम्बर 122/5 रकबा 37-05 बीघा भूमि में से 02-00 बीघा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष सर्म्पण करवाया गया था। तथा उक्त सर्म्पण का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करते समय राजस्व कामिको की भुलवंश 02-00 बीघा की जगह 05-00 बीघा का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कर दिया गया। जिसका नामान्तरण दिनांक 06.10.2021 को प्रशासन गावो के संग अभियान में हुआ है तथा राजस्व कामिको की भुल वंश आनन-फाफन में हुआ है। कि पक्षकारान के तथा भूलवंश हुई प्रविष्टी को कभी भी सुधारा जा सकता है। जिस कारण प्रार्थी भुलवंश हुई प्रविष्टी दुरुस्त करवाने के अधिकारी है। क्योंकि राजस्व कामिको के भुलवंश हुई गलती के कारण प्रार्थी को खामियाजा नहीं भुगता जा सकता जो प्रार्थी के साथ न्याय किया जावे व राजस्व रिकार्ड का अवलोक करते हुए शुद्धिकरण किया जावे। कि प्रार्थी को गलत प्रविष्टी होने से असुविधा का बिना वजह सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी के आवेदन के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार रकबा दुरुस्त करने की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि प्रार्थी मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार रिकार्ड दुरुस्ती के साथ तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 200/122 रकबा 5.2019 हैक्टेयर ग्राम तालबानियों की ढाणी (सर्म्पण करते समय ग्राम टुकिया खसरा नम्बर 122/5 रकबा 37-05 में से 02-00 भूमि का सर्म्पण) व विप्रार्थी 1 खाता नम्बर 1 खसरा नम्बर 199/122 रकबा 0.8252 हैक्टेयर में 02-00 बीघा यानि वर्तमान ईकाई 0.3236 हैक्टेयर को यथावत रखते हुए शेष भूमि 0.5016 हैक्टेयर को प्रार्थी के ग्राम तालबानियों की ढाणी खसरा नम्बर 200/122 रकबा 5.2019 हैक्टेयर में समायोजन करते हुए तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी


पत्रांक 3100 दिनांक 07.10.2025 के संलग्न प्रस्तावित रिपोर्ट एवं नक्शा अनुसार खाता व तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त मौका रिपोर्ट एवं नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शा में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।



(समदरसिंह भाटी)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 16.10.2025 को लिखा जाकर सारे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी सिणधरी